बिहार सरकार

बिहार तकनीकी सेवा आयोग,

19, हार्डिंग रोड, पटना।

विज्ञापन संख्या–................/2018

चिकित्सा पदाधिकारी के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन।

सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के पत्रांक–10551, दिनांक 06.08.2018 द्वारा स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी, होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी, यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी, आयुष फिजिशियन (आयुर्वेदिक), आयुष फिजिशियन (यूनानी) एवं आयुष फिजिशियन (होमियोपैथ) के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मिदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते है, जिसकी विवरणी निम्नवत है :–

क्र0 स0	पदनाम	वेतन मान/ग्रेड पे0	पदों की कोटिवार विवरणी (35% महि0, 4% दिव्यांग एवं 2% स्वतंत्रता से0 के नाती/पोते को देय आरक्षण सहित)							शैक्षणिक योग्यता
			अना0	अनु0 जाति	अनु0जन जाति	अ0पि0व0	पि0व0	पि0व0की महिला	कुल	
1	आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी	5400/–	76	17	0	35	23	9	160	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी0ए0एम0एस0 डिग्री (बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसीन एण्ड सर्जरी) जो भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, नई दिल्ली के अनुसूची में सम्मिलित हो। (ii) अनिवार्य इन्टर्नशीप प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। (iii) बिहार राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा परिषद, बिहार पटना में निबंधन होना चाहिए। अनुभव– बिहार सरकार के चिकित्सा क्षेत्र में संविदागत अनुभव मान्य होगा। कार्यानुभव प्रमाण पत्र देने हेतु सक्षम प्राधिकार संबंधित संस्थान के नियंत्री पदाधिकारी होगें।
2	आयुष फिजिशियन (आयुर्वेदिक)	5400/–	51	16	1	18	12	3	101	
3	होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी	5400/–	37	23	2	20	12	6	100	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी0एच0एम0एस0 डिग्री (बैचलर ऑफ होमियोपैथी मेडिसीन एण्ड सर्जरी) जो केन्द्रीय होमियोपैथि परिषद, नई दिल्ली के अनुसूची में सम्मिलित हो। (ii) अनिवार्य इन्टर्नशीप प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। (iii) बिहार राज्य होमियोपैथि चिकित्सा परिषद, बिहार पटना में निबंधन होना चाहिए। अनुभव– बिहार सरकार के चिकित्सा क्षेत्र में संविदागत अनुभव मान्य होगा। कार्यानुभव प्रमाण पत्र देने हेतु सक्षम प्राधिकार संबंधित संस्थान के नियंत्री पदाधिकारी होगें।
4	आयुष फिजिशियन (होमियोपैथ)	5400/–	31	9	1	11	7	2	61	
5	यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी	5400/–	37	24	01	11	17	04	94	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी0यू0एम0एस0 डिग्री (बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसीन एण्ड सर्जरी) जो भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, नई दिल्ली के अनुसूची में सम्मिलित हो। (ii) अनिवार्य इन्टर्नशीप प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। (iii) बिहार राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा परिषद, बिहार पटना में निबंधन होना चाहिए। अनुभव– बिहार सरकार के चिकित्सा क्षेत्र में संविदागत अनुभव मान्य होगा। कार्यानुभव प्रमाण पत्र देने हेतु सक्षम प्राधिकार संबंधित संस्थान के नियंत्री पदाधिकारी होगें।
6	आयुष फिजिशियन (यूनानी)	5400/–	20	7	0	7	5	1	40	
									कुल	556

2. आयु सीमा– दिनांक 01.08.2017 को :–

(i) अनारक्षित (सामान्य) – 37 वर्ष

(ii) अनु0 जाति/अनु0 जनजाति (पुरूष एवं महिला) – 42 वर्ष

(iii) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरूष एवं महिला) – 40 वर्ष

(iv) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–62 दिनांक 05.01.2007 के आलोक में निःशक्तों को उक्त अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है।

3. चयन की प्रक्रिया :–

(i) बी0ए0एम0एस0/बी0यू0एम0एस0/बी0एच0एम0एस0 में प्राप्तांक के लिए –50 अंक

(ii) स्नातकोत्तर उपाधि/उच्चतर उपाधि के लिए (एम0डी0/एम0एस0, आयुर्वेद, यूनानी एवं होमियोपैथी के लिए 5 अंक तथा इससे उच्चतर उपाधि के लिए 5 अंक कुल 10 अंक) –10 अंक

(iii) बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों/औषधालयों में नियुक्ति/अनुबंध के आधार पर नियुक्ति के उपरांत प्राप्त कार्यानुभव के लिए (प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए 5 अंक, अधिकतम 25 अंक) –25 अंक

(iv) साक्षात्कार के लिए –15 अंक

कुल – 100 अंक

(v) अभ्यर्थी, संविदा के आधार पर कार्यरत अवधि का नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत अद्यतन वेतन भुगतान प्रमाण पत्र का साक्ष्य ऑलाईन आवेदन के विहित कॉलम में दर्ज करेगें।

4. आरक्षणः

(i) ऑनलाईन आवेदन के इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

(ii) जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। **ऑनलाईन आवेदन में भरा गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा।**

(iii) (A) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगाः
(a) जाति प्रमाण–पत्र
(b) स्थायी निवास (डोमिसाइल) प्रमाण–पत्र,

(B) पिछड़ी जाति एवं अत्यन्त पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगाः–
(a) क्रीमीलेयर रहित जाति प्रमाण–पत्र,
(b) स्थायी निवास (डोमिसाइल) प्रमाण–पत्र,

पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग जाति की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित जाति प्रमाण–पत्र एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण–पत्र एवं जाति प्रमाण–पत्र मान्य होगा। **उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण–पत्र काउंसलिंग के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।**

(iv) **आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोड के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षण कोड का अंकित आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण–पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।**

आरक्षित कोटि के लिए आरक्षण कोड निम्नवत् हैः–

क्र०सं०	आरक्षित कोटि	आरक्षण कोड
1.	अनुसूचित जाति (SC)	02
2.	अनुसूचित जनजाति (ST)	03
3.	अति पिछड़ा वर्ग (EBC)	04
4.	पिछड़ा वर्ग (BC)	05
5.	पिछड़ा वर्ग की महिला (WBC)	06

(v) दिव्यांगता की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित प्रपत्र में निगत दिव्यांगता (निःशक्तता) प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा दिव्यांगता (निःशक्तता) के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

(vi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक–2342, दिनांक– 15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को नियमानुसार 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

(vii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक–13185, दिनांक–03.09.2015 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को नियमानुसार 02 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती /नाती/नतीनी होने का प्रमाण–पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए।

(viii) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक –16144, दिनांक– 28.11.2012 के आलोक में नियुक्ति प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है।

(ix) ऑनलाईन आवेदन में आरक्षण के इंगित कॉलम में निःशक्तता/स्वतंत्रता सेनानी/बिहार राज्य के सरकारी संस्थानो में संविदा पर कार्यरत कर्मियों द्वारा दावा नहीं करने पर उनसे संबंधित आरक्षण एवं अन्य लाभ अनुमान्य नही होंगे।

6. <u>आवेदन शुल्क</u> – Online आवेदन करने हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क निम्नवत् हैः–

क्र0सं0	उम्मीदवार की कोटि	निर्धारित आवेदन शुल्क
1	सामान्य वर्ग/पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग	रू0 200/–
2	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (बिहार राज्य के स्थायी निवासी)	रू0 50/–
3	बिहार राज्य के स्थायी निवासी आरक्षित/अनारक्षित वर्ग के सभी महिला उम्मीदवार	रू0 50/–
4	राज्य के बाहर के उम्मीदवार(चाहे वे किसी भी वर्ग के महिला/पुरूष हों	रू0 200/–

(i) सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क के एक चौथाई जमा करना होगा, अर्थात अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को यदि 200 रूपया निर्धारित है, तो दिव्यांग अभ्यर्थी को मात्र 50 रूपया परीक्षा शुल्क देय होगा।

अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन शुल्क ऑनलाईन चालान के माध्यम से बिहार तकनीकी सेवा आयोग के खाता संख्या–...........................स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी शाखा में जमा किया जाएगा एवं ऑनलईन आवेदन कि विहित कॉलम में प्राप्ति रसीद का साक्ष्य अंकित किया जायेगा तथा रसीद कि प्रति आवेदक के पास सुरक्षित रखा जायेगा। चालान का प्रपत्र आयोग के वेबसाईट से डाउनलोड कर व्यवहार में लाया जा सकता है।
ऑनलाईन भुगतान में अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाईन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाईन भुगतान से संबंधित बैंक रसीद को प्रिन्ट कर ऑनलाईन आवेदन के विहित कॉलम में अंकित करेगें।

वैसे सभी कोटि के अभ्यर्थियों, जो अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्तता के अनुरूप परीक्षा शुल्क जमा करते हैं, और भविष्य में उनके द्वारा संबंधित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) के आधार पर उनकी अभ्यर्थिता रदद् कर दी जायेगी। निःशक्त अभ्यर्थियों एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/कोटि के अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे यदि स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी।

7. <u>महत्वपूर्ण निर्देशः–</u>

(क) ऑनलाइन आवेदन–पत्र के विहित कॉलम में अपने सभी शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सूचना एवं आरक्षण से संबंधित सूचना की प्रविष्टि करेगें एवं इस प्रविष्टि के अनुसार कांउसलिंग के समय प्रमाण प्रत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ख) वैसे उम्मीदवार, जिनके अंक पत्र में अंक की जगह ग्रेड अंकित है, उन्हें अपने विश्वविधालय से उक्त ग्रेडिंग प्रणाली को प्रतिशत में परिवर्तित करने का फॉर्मूला प्राप्त कर अपने आवेदन के साथ संलग्न करना होगा, अन्यथा उनके ग्रेड को AICTE द्वारा ग्रेड को प्रतिशत में परिवर्तित करने हेतु प्रदत्त फॉर्मूला के आधार पर प्रतिशत निकाला जाएगा।

8. **विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र, चालान की प्रति एवं अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाईन आवेदन को डैश बोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा काउसेलिंग के समय या किसी भी समय मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित प्रमाण–पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा।**

9. **योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन–पत्र में किया है। योग्यता से संबंधित प्रमाण–पत्र के निर्गत होने की तिथि, आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व का होना आवश्यक है।**

10. आवदन प्रपत्र म वाणत सभा प्रमाण–पत्र, अक–पत्र कासालग क समय मूल रूप स प्रस्तुत करना आनवाय होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।

11. आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण–पत्र मूल रूप में उनके पास आवेदन भरते समय उपलब्ध हैं।

12. इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाईट **www.btssc.bih.nic.in** पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा।

13. उपर्युक्त विज्ञापन से संबंधित ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु विस्तृत निर्देश आयोग के वेबसाईट . **www.btssc.bih.nic.in** पर उपलब्ध है। इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाईन आवेदन से अलग, मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। साथ ही, अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

14. आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जायेगी। भविष्य में आवेदन में किसी प्रकार का परिवर्तन/सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

15. ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित हैः–

(i) ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथिः ....

(ii) ऑनलाईन भुगतान करने वाले अभ्यर्थी चालान की प्रति डाउनलोड कर सुरक्षित रख लेगें।

(iii) अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देश का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही–सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे। **ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने एवं ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा। इस संबंध में किसी प्रकार के सुधार/परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।**

ऑनलाईन आवेदन में भरी गयी सूचनाओं को मूल प्रमाण पत्र /अंक पत्रों से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संबंधित आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

(iv) अभ्यर्थी, चालान में अंकित नाम, जन्म तिथि, कोटि,परीक्षा शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरान्त ही बैंक में परीक्षा शुल्क जमा करेंगे।

(v) ऑनलाईन आवेदन में अंकित E-mail Id, Mobile Number तथा User Name एवं Password को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे चयन सूची के अंतिम प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे।

(vi) मात्र रजिस्ट्रेशन करने एवं बैंक में चालान जमा करने से यह नहीं माना जाएगा की आवेदक द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाईन आवेदन भर लिया गया हैं।

(vii) इन्टरनेट या बैंकिग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।

(viii) अभ्यार्थी हाल का खिंचा हुआ अपना एक फोटोग्राफ तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर एवं अंगूठे का निशान स्कैन कर ऑनलाईन आवेदन में निर्धारित स्थान में अपलोड करेंगे। **अभ्यार्थी संतुष्ट हो लेंगे कि अपलोड किया गया फोटोग्राफ तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर एवं अंगूठे का निशान का इमेज सुस्पष्ट है।**

(ix) **अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि आवेदन करते समय जो फोटोग्राफ उनके द्वारा आवेदन पत्र पर अपलोड किया जा रहा है, उसकी कम से कम पाँच अतिरिक्त प्रतियाँ वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा मांगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके।**

(x) **ऑनलाईन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान** Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure **के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। ऐसी त्रुटियों की स्थिति में अभ्यर्थी तुरंत पूर्व में डाउनलोड किये गए चालान के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक के किसी भी शाखा में निर्धारित तिथि के अंदर नगद भुगतान कर आवेदन भरने की कार्रवाई करेंगे।**

नोटः–1.अभ्यार्थियों को निदेश दिया जाता है कि वे कोई भी फर्जी/जाली प्रमाणप्रत्र के आधार पर उक्त आवेदन नहीं भरेगें अन्यथा किसी भी स्तर से प्रमाणपत्र फर्जी पाये जाने पर उनकी अभ्यर्थिता रदद् कर दी जायेगी एवं उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाई की जायेगी।

सचिव

बिहार तकनीकी सेवा आयोग,

बिहार पटना।